न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/10/2018	2018/00440	18.06.2018	04.02.2026

1.तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1.कन्नू पुत्र रेवडा (मृतक)
1/1.रामसिंह पुत्र रेवडा,
1/2.शिब्बूसिंह पुत्र रेवडा,
1/3.राजेन्द्र सिंह पुत्र रेवडा,
1/4.उमेदी पुत्री रेवडा,
1/5.मीनाबाई पुत्री रेवडा, निवासियान ग्राम फिरोजपुर जांगीर तहसील राजगढ जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 बाबत्

उपस्थितः—
01.राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आराजी खसरा न0 54 रकबा 0.54 हैक्टेयर वाके ग्राम फिरोजपुर को आवंटन किये जाने से व्यथित होकर पेश किया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। बाबजूद तामील अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं कि यह है कि हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.54 हेक्टर ग्राम फिरोजपुर जागीर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है उपरोक्त भूमि में कदीमी रास्ता है और आमद रफत होती है। उपरोक्त भूमि को अप्रार्थी कन्नू पुत्र रेवडा कौम दरोगा निवासी ग्राम फिरोजपुर को गलत तरीके से आवंटित करदी, जिसके आधार पर उक्त भूमि को राजस्य रिकार्ड में अप्रार्थी में कन्नू पुत्र रेवडा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया गया है। उपरोक्त भूमि मौके पर रास्ता पुख्ता सडक है और आमद रफत जारी है इस कारण अप्रार्थी कन्नू का न तो कब्जा रहा है और न काश्त की है उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में भी गै.मु. रास्ता दर्ज है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी कन्नू का नाम दर्ज है जबकि अप्रार्थी कन्नू का उक्त भूमि पर वर्तमान में कब्जा नहीं है। आम रास्ते का कार्य कर रही है। उपरोक्त भूमि की किस्म भी राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है और मौका पर भी रास्ता कच्चा और पक्का डांबर रोड बना हुवा है। कच्चे रास्ते पर कुछ व्यक्तियो द्वारा कब्जा किया हुवा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय श्रीमान् जी से निवेदन है कि अप्रार्थी कन्नू पुत्र रेवडा कौम दरोगा निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील राजगढ को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 54 रकबा 0.54 हैक्टर निरस्त फरमाया जाने की कुपा करे।

संलग्न : आवेदन के साथ ग्राम फिरोजपुर जागीर की जमाबन्दी सम्वत् 2072 के खाता सं. 148 की नकल व खसरा नं. 54 के मिलान क्षेत्रफल 2046 की नकल साबिक खसरा नं 26 की जमाबन्दी, सम्वत् 2037 के खाता सख्या 1 की नकल सम्वत् 2038 के खाता नं. 114 की नकल खसरा गिरधावरी की नकल सम्वत् 2031 से 2072 तक।

पत्रावली में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की विस्तृत बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कन्नू पुत्र रेवडा के नाम गैर खातेदार दर्ज है किन्तु कन्नू पुत्र रेवडा का न तो विवादित आराजी पर कब्जा है न ही उसने कभी काश्त की है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

भी गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है और वर्तमान में कच्चा व पक्का डांबर रोड बना हुआ है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का फिरोजपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.06.2017 कि अनुसार आराजी खसरा न0 54 पर आवंटी गैर खातेदार का कब्जा नही है। मुताबिक सीमाज्ञान आराजी खसरा न0 54 पर अतिक्रमण होना पाया गया है। मौके पर उपस्थित मोजीज ग्राम वासियान व प्रार्थिया न बताया कि उक्त खसरा न0 54 पर ग्राम बहाली सीमा के खातेदार कृषकों छोटेलाल, हट्याराम, नोन्दाराम व लालाराम पुत्रान दयालराम माली व कुछ हिस्से पर पप्पूराम पुत्र रेवडराम माली ने अतिक्रमण कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 14(4) पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम फिरोजपुर जागीर के खसरा न0 54 रकबा 0.54 हैक्टेयर का आवंटन, जो अप्रार्थी कन्नू पुत्र रेवडा के पक्ष में किया गया है, उसे निरस्त किया जावे। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवादित भूमि खसरा न0 54 रकबा 0.54 हैक्टेयर ग्राम फिरोजपुर में स्थित है। यह भूमि मौके पर कदीमी रास्ता है और इसमें पक्की डामर सड़क व कच्चा रास्ता बना हुआ है जिससे आमद–रफत जारी है। उक्त भूमि का आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया गया था, जबकि मौके पर अप्रार्थी का न तो कभी कब्जा रहा है और न ही उसने कभी काश्त की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। तामील के बावजूद अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। राजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए गए कि विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भले ही गैर–खातेदार के रूप में दर्ज है, परन्तु मौके पर यह 'गैर मुमकिन रास्ता' है। चूँकि यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि (रास्ता) है और आवंटी का इस पर कोई कब्जा या काश्त नहीं है, अतः आवंटन नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जमाबंदी (सम्वत् 2072), नक्शा और पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.06.2017 का गहनता से अवलोकन किया गया। पटवारी की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि खसरा न0 54 पर आवंटी (अप्रार्थी) का कोई कब्जा नहीं है। सीमाज्ञान के मुताबिक उक्त भूमि पर ग्राम के अन्य व्यक्तियों (छोटेलाल, हट्याराम, पप्पूराम आदि) द्वारा अतिक्रमण किया गया है और भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में हो रहा है। भू–आवंटन नियमों के तहत यदि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा न हो, काश्त न की गई हो, या भूमि सार्वजनिक उपयोग (रास्ता) की हो, तो ऐसा आवंटन शून्य और निरस्त करने योग्य है। चूंकि विवादित भूमि मौके पर रास्ता है और जनहित में इसका उपयोग आमद–रफत के लिए हो रहा है, तथा आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना (काश्त/कब्जा) नहीं की है, अतः यह आवंटन कायम रहने योग्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत किये गये आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14 (4) भू0 आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अप्रार्थी कन्नू पुत्र रेवडा जाति दरोगा निवासी ग्राम फिरोजपुर जांगीर तहसील राजगढ को आराजी साबिक खसरा नंबर 26 मिन रकबा 02 बीघा भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 21.07.1978 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)